न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 78/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नरपतसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति चारण निवासी–टेहला तहसील रियांबडी		तहसीलदार, रियांबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल गौड, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.11.2017

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, रियांबडी द्वारा नामान्तरकरण सं. 1443 निर्णय दिनांक 28.06.16 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.09.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.09.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 1443 की फोटोप्रति, हक तर्कनामा दिनांक 3.1.01 की फोटोप्रति, नकल खतौनी ग्राम टेहला के संवत 2055 से 2069 तक की फोटोप्रति, आवेदन पत्र दिनांक 8.8.17 व 11.8.17 की फोटोप्रति पेश की गई है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–मौजा ग्राम टेहला में खसरा नं. 366 रकबा 75 बीघा 2 बिस्वा जमीन आई हुई है। जिसमें से 1/2 हिस्सा अपीलार्थी के पिता व 1/2 हिस्सा अपीलार्थी के काका रूघनाथसिंह का रहा है। अपीलांट के पिता के निधन के बाद उक्त 1/2 हिस्सा अपीलांट के नाम व उसकी माता सज्जनकंवर के नाम व उसके भाई दलपतसिंह के नाम एवं उसके भाई दौलतसिंह के नाम विधिवत पिता की मृत्यु पश्चात चारों के नाम खातेदारी में दर्ज हो गये।

{2}(II)–माता सज्जनकंवर एवं भाई दौलतसिंह ने हक तर्कनामा से ज्येष्ठ पुत्र अपीलांट नरपतसिंह के नाम विधिवत राजकीय रेकर्ड में करवा दी जो कि दिनांक 26.1.01 को करवा दी गई। उक्त खसरा में नरपतसिंह का हिस्सा 1/2 में 3/4 दर्ज हो गया एवं उसके भाई दलपतसिंह का हिस्सा 1/4 दर्ज हो गया जो कि आज दिन तक खातेदारी रेकर्ड में विद्यमान है।

{2}(III)–इसी खसरे में से अपीलांट के काका रूघनाथसिंह द्वारा 17.8.99 को अपना आधा हिस्सा बेचान किया। उनका भी विधिवत राजकीय रेकर्ड में 75 बीघा 2 बिस्वा में से 1/2 रूघनाथसिंह के द्वारा बेचा गया हिस्सा उन खरीददारों के नाम हो गया।

{2}(IV)–रूघनाथसिंह द्वारा बेचा गया हिस्सा उन खरीददारों के द्वारा बंटवाडा का वाद रियांबडी में किया गया जिनका बंटवाडा भी विधिवत होकर डिक्री पारित हुई। उसमें भी खसरा नं.

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

366 में से 1/2 हिस्सा दक्षिण की साईड का उन्हे डिग्री अनुसार विधिवत दे दिया गया एवं रेकर्ड में भी एवं म्यूटेशन में भी उन्हे अपना 1/2 हिस्सा दे दिया गया।

{2}(V)–खसरा नं. 366 में 1/2 के हिस्सेदार रघुनाथसिंह के द्वारा बेचे गये खातेदार आज भी दक्षिणी तरफ विद्यमान है एवं 1/2 में भवानीदान के पुत्र नरपतसिंह अपीलांट 3/4 व दलपतसिंह 1/4 आज भी खातेदारी में मौजूद है। परंतु राजकीय त्रुटि के कारण म्यूटेशन नं. 1443 भरा गया। जब राजकीय भूल कर्मचारियों द्वारा की गई एवं हिस्से खुले हुए होने पर भी उनके ऊपर गोला मार दिया गया एवं गलत रूप से गोला मार दिया गया। जबकि म्यूटेशन में उक्त खसरे में 3 बार नाम अपीलांट के नाम आज भी दर्ज है। इसलिये अमुख अशुद्वि सुधार किया जावे व उक्त म्यूटेशन में गलत रूप से प्रार्थी का 1/2 में 1/2 हिस्सा दर्शाया है जबकि अपीलांट का उक्त खेत में 1/2 में 3/4 हिस्सा निहित करता है। उक्त हिस्सा के सभी दस्तावेज रेवेन्यू कागजात में दर्ज है तथा मात्र सहवनवश म्यूटेशन सं. 1443 में गलत दर्ज कर लिया गया व इस म्यूटेशन के आधार पर आगे खतौनी में भी अपीलार्थी का गलत हिस्सा दर्ज हो रहा है व उक्त गलती की वजह से अपीलार्थी का हिस्सा कम हो रहा है। इस कारण उक्त म्यूटेशन अपील को पेश करना आवश्यक हुआ व म्यूटेशन सं. 1443 को निरस्त कर पुनः इसमें सुधार किया जावे व अपीलार्थी के नाम 1/2 में 3/4 हिस्सा जो उपखंड अधिकारी रियांबडी व पुराने राजस्व रेकर्ड में दर्शाया हुआ है, के अनुसार शुद्वी किया जावे।

{2}(VI)–अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त खेत में अपने हिस्से पर के.सी.सी. ली हुई है। जिसमें भी तहसीलदार व पटवारी द्वारा अपीलार्थी का हिस्सा 1/2 में 3/4 माना गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त रेकर्ड को सुधार के लिये तहसीलदार रियाबडी को आवेदन पेश किया तो उसमें पटवारी टेहला द्वारा जांच की थी व उक्त जांच में यह माना कि अपीलार्थी का 1/2 में 3/4 हिस्सा निहित करता है। मगर सहवनवश म्यूटेशन में गलत इन्द्राज हो गया जो अपील द्वारा ही शुद्व किया जा सकता है।

{2}(VII)–अपीलार्थी को उपरोक्त अशुद्वी की अभी जानकारी हुई है तथा जानकारी होते ही अपील पेश की गई है। जो अंदर मियाद पेश की गई है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मियाद के संबंध में मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तथा अपील के विलंब को प्रतिदिन के हिसाब से बताना होता है। जो भी नही बताया गया है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण न्यायिक आदेश की अनुपालना में भरा गया है। नामान्तरकरण के कॉलम सं. 9 में पहले हिस्सा दर्ज किया जाकर बाद में गोला लगाकर तथ्यों मे बदलाव किया गया है। जो डिक्री के अनुरूप नही है। सहखातेदारी भूमि में किस व्यक्ति का कितना हिस्सा बनता है। यह अधिकार तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नही होकर नियमित न्यायालय का है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज की जानी चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम टेहला के नामान्तरकरण सं. 1443 में पारित आदेश दिनांक 28.6.16 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी रियांबडी के आदेश से भरा जाना प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5062 दिनांक 26.10.17 में बताया कि खसरा नं. 366 में डिक्री आदेश अनुसार चुका देवी

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

वगैरा का 1/2 हिस्सा होना जारी किया गया। जिस पर नामान्तरकरण सं. 1443 भरा गया जिसमे पटवारी द्वारा चुका देवी 1/2 व पतासी देवी, बाबूदेवी का 1/2 हिस्स खोला गया, जो डिक्री अनुसार नही होने से हिस्सा नही खोला जा सकता। मूल नामान्तरकरण के अवलोकन से कॉलम सं. 9 में हिस्सा दर्शाते हुए बाद में कांट छांट कर गोला अंकित किया गया है। कांट छांट व गोला किस स्तर पर व किसके द्वारा किया गया है। इस संबंध में जांच कर दोषियों के विरूद्व कार्यवाही की जावे। जहां तक आराजी भूमि में किसका कितना हिस्सा है। यह तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नही है। परंतु नामान्तरकरण जैर अपील नियमित न्यायालय के डिक्री आदेशानुसार प्रतीत नही होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम टेहला के नामान्तरकरण सं. 1443 पर तहसीलदार, रियाबडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.16 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार रियाबडी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रिकार्ड पर दर्ज सभी खातेदारान को नोटिस देकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियाबडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.15 व डिक्री दिनांक 16.11.15 के प्रकाश में गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर